समक्ष विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम, (द.वि.वि.नि.लि.),

कानपुर मण्डल, कानपुर।

परिवाद संख्या- 20/2022

इन्डस टावर लि., छठवी फ्लोर, बी.बी.डी. विराज टावर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

------- परिवादी /आवेदक

बनाम

अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड कन्नौज।

-------विपक्षी

अध्यासीन (उपस्थित) : (1) श्री संतोष कुमार तिवारी (कार्यवाहक अध्यक्ष/तकनीकी सदस्य)

(2) श्री संजीव कुमार गुप्ता (सदस्य/अनु.)

निर्णय

1. इन्डस टावर लि., छठवी फ्लोर, बी.बी.डी. विराज टावर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) द्वारा इनर्जी कन्ट्रोलर ने अपने विद्वान अधिकृत अधिवक्ता मो. कौसर जाँह द्वारा दिनांक 02.09.2022 को अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, कन्नौज (दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड) के विरूद्ध अपने संयोजन सं. 722102205176 के संम्बंध में त्रुटिपूर्ण मीटर एवं विद्युत बिलों में संशोधन के सम्बंध में इस फोरम के समक्ष परिवाद दाखिल किया गया है। परिवाद में मूख्यरूप से निम्न बिन्दुओं पर बल दिया गया हैः-

(a) विद्युत विलों की धनराशि में विद्युत वितरण कोड 2005 के धारा 6.5 (c) के अनुसार संसोधन किया जाये।

(b) अधिक जमा की गयी धनराशि का समायोजन आगामी विलों में विद्युत वितरण कोड 2005 की धारा 6.5 (c) के अनुसार किया जाय।

(c) विपक्षी को विद्युत वितरण कोड 2005 की धारा 6.5 (b) (i) के अनुसार विलम्ब अधिभार (LPSC) को माफ करने हेतु निर्देशित किया गया।

(d) वाद खर्च के भुगतान हेतु आदेश पारित किया जाय।

(e) अन्य कोई आदेश जिससे उपभोक्ता का अधिकार संरक्षित रहे।

इण्डस टावर लि. कन्नौज का संयोजन सं. 722102205176 स्वीकृत भार 11.1 KVA का Previous Arrear और Previous Surcharge रु. 6,88,875/- था।

आगे जारी है।

विपक्षी द्वारा जवाबदावा (का. सं. 4/1 ता 4/2 एवं संलग्नक का .सं.4/3 ता 4/10) दाखिल किया गया है। धारा 1 के कथन में अभिलिखित किया गया है कि परिवादी द्वारा अपने टावर के संचालन हेतु संयोजन सं. 722102205176 स्वीकृत भार 11.1 के.वी.ए. का दिनांक 29.06.2021 को ग्राम भवानीपुर जनपद कन्नौज से स्वीकृत कराया गया। धारा 2 के कथन में अभिलिखित किया गया है कि परिवादी को संयोजन के साथ विभागीय मीटर सं. 00871803 संयोजित कर संयोजन ऊर्जीकृत किया गया। धारा 3 के कथन में अभिलिखित किया गया है कि विभाग द्वारा परिवादी को उनके मीटर में अंकित खपत के आधार ग्रामीण आपूर्ति आधारित एस. टी. 28 के आधार पर ही नियमित रुप से विद्युत बिल निर्गत केये गये। धारा 4 के कथन में अभिलिखित किया गया है कि परिवादी के प्रतिनिधि द्वारा इस कार्यालय के समक्ष अपने विद्युत बिल के सम्बन्ध में माह 03/2022 में गलत विद्युत बिल होने की सूचना प्रदान की गयी। उक्त माह में परिवादी को रु. 6,88,875/- की धनराशि बकाया का विद्युत बिल प्राप्त हुआ। धारा 5 के कथन में अभिलिखित किया गया है कि परिवादी की समस्या का संज्ञान लेते हुये दिनांक 25.03.2022 को विद्युत परीक्षण खण्ड कन्नौज द्वारा एक नया चेक मीटर सं. 1206479 उनके संयोजन परिसर पर स्थापित किया गया जिसकी रीडिंग सील करते समय शून्य थी। धारा 6 के कथन में अभिलिखित किया गया है कि विद्युत परीक्षण खण्ड के सहायक अभियन्ता द्वारा दिनांक 29.05.2022 को परिवादी के प्रतिनिधि की उपस्थिति में चेक मीटर का परीक्षण किया गया एवं अवगत कराया कि पूर्व संयोजित मेन मीटर सं. 00871803 एम. आर. आई. में नो लोड पर 60 एम्पियर करन्ट प्रदर्शित करा है, जिसके बाद उक्त संयोजन पर संयोजित चेक मीटर सं. 1206479 को ही मेन मीटर में परिवर्तित कर सीलिंग प्रमाण पत्र दिनांक 29.05.2022 भरा गया। धारा 7 के कथन में अभिलिखित किया गया है कि परिवादी के संयोजन पर संयोजित चेक मीटर संख्या 1206479 की दिनांक 05.07.2022 को की गयी एम.आर.आई. में अंकित रीडिंग 5670 Kwh व 5783 KVah पाया गया जो कि दिनांक 25.03.2022 से दिनांक 05.07.2022 के मध्य खपत हुई रीडिंग है। धारा के कथन में अभिलिखित किया गया है कि परिवादी चेक मीटर दिनांक 25.03.2022 से दिनांक 05.07.2022 तक संयोजित रहा जो कि कुल 101 दिन अर्न्तगत मीटर रीडिंग खपत 5670 Kwh व 5783 KVah हुई इस प्रकार प्रतिदिन खपत 56.14 Kwh व 57.25 KVah हुई। धारा 9 के कथन में अभिलिखित किया गया है कि बिन्दु संख्या 8 के अनुसार दिनांक 29.06.2021 संयोजन प्राप्त की तिथि से एम.आर.आई. तिथि 04.07.2022 के मध्य कुल 370 दिनों का प्रतिदिन खपत रीडिंग के अनुसार कुल 21182.50 रीडिंग खर्च की गयी। जिसके आधार पर कुल धनराशि में परिवादी द्वारा जमा धनराशि को समायोजित करते हुये अग्रिम बिल जारी किया गया। (संलग्नक : बिलिंग लिपिक द्वारा तैयार बिल रिवीजन प्रति) धारा 10 के कथन में अभिलिखित किया गया है कि परिवादी द्वारा संयोजन प्राप्ति की तिथि के बाद से दिनांक 29.07.2022 के पूर्व कोई भी विद्युत बिल का भुगतान नहीं किया अपितु सक्कालिक भकाया के विरूद्ध बकाया धनराशि रू. 60,876/- अवशेष है।

आगे जारी है।

निष्कर्ष

परिवादी के अधिकृत विद्वान अधिवक्ता मो. कौसर जाहँ को तथा विपक्षी अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, कन्नौज के अधिकृत विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। इस परिवाद को निस्तारित करने हेतु निम्न लिखित बिन्दु बनाया गया :-

क्या परिवादी का परिवाद कायम रहने योग्य है।

(1) परिवादी ने परिवाद विपक्षी के विरुद्ध दाखिल किया है। परिवादी ने विद्युत बिल का. सं. 1/9 दाखिल किया।

(2) परिवादी द्वारा अपने टावर के संचालन हेतु संयोजन सं. 722102205176 स्वीकृत भार 11.1 के.वी.ए. का दिनांक 29.06.2021 को ग्राम भवानीपुर जनपद कन्नौज से स्वीकृत कराया गया। परिवादी को संयोजन के साथ विभागीय मीटर सं. 00871803 संयोजित कर संयोजन ऊर्जीकृत किया गया। विभाग द्वारा परिवादी को उनके मीटर में अंकित खपत के आधार ग्रामीण आपूर्ति आधारित एस. टी. 28 के आधार पर ही नियमित रुप से विद्युत बिल निर्गत केये गये। परिवादी के प्रतिनिधि द्वारा इस कार्यालय के समक्ष अपने विद्युत बिल के सम्बन्ध में माह 03/2022 में गलत विद्युत बिल होने की सूचना प्रदान की गयी। उक्त माह में परिवादी को रु. 6,88,875/- की धनराशि बकाया का विद्युत बिल प्राप्त हुआ। परिवादी की समस्या का संज्ञान लेते हुये दिनांक 25.03.2022 को विद्युत परीक्षण खण्ड कन्नौज द्वारा एक नया चेक मीटर सं. 1206479 उनके संयोजन परिसर पर स्थापित किया गया जिसकी रीडिंग सील करते समय शून्य थी। विद्युत परीक्षण खण्ड के सहायक अभियन्ता द्वारा दिनांक 29.05.2022 को परिवादी के प्रतिनिधि की उपस्थिति में चेक मीटर का परीक्षण किया गया एवं अवगत कराया कि पूर्व संयोजित मेन मीटर सं. 00871803 एम. आर. आई. में नो लोड पर 60 एम्पियर करन्ट प्रदर्शित करा है, जिसके बाद उक्त संयोजन पर संयोजित चेक मीटर सं. 1206479 को ही मेन मीटर में परिवर्तित कर सीलिंग प्रमाण पत्र दिनांक 29.05.2022 भरा गया। परिवादी के संयोजन पर संयोजित चेक मीटर संख्या 1206479 की दिनांक 05.07.2022 को की गयी एम.आर.आई. में अंकित रीडिंग 5670 Kwh व 5783 KVah पाया गया जो कि दिनांक 25.03.2022 से दिनांक 05.07.2022 के मध्य खपत हुई रीडिंग है। परिवादी चेक मीटर दिनांक 25.03.2022 से दिनांक 05.07.2022 तक संयोजित रहा जो कि कुल 101 दिन अर्न्तगत मीटर रीडिंग खपत 5670 Kwh व 5783 KVah हुई इस प्रकार प्रतिदिन खपत 56.14 Kwh व 57.25 KVah हुई। दिनांक 29.06.2021 संयोजन प्राप्त की तिथि से एम.आर.आई. तिथि 04.07.2022 के मध्य कुल 370 दिनों का प्रतिदिन खपत रीडिंग के अनुसार कुल 21182.50 रीडिंग खर्च की गयी।

आगे जारी है।

विपक्षी द्वारा कन्जूमर की लेजर डिटेल (का. सं. 4/7 ता 4/9) एवं पत्रांक सं. 4730/वि.वि.ख.(क.)/लि.कथन (का. सं. 5) दिनांक 17.12.2022 को दाखिल किया गया है । परिवादी के प्रतिनिधि की उपस्थिति में चेक मीटर का परीक्षण किया गया एवं अवगत कराया कि पूर्व संयोजित मेन मीटर सं. 00871803 एम.आर. आई. में नो लोड पर 60 एम्पियर करन्ट प्रदर्शित कर रहा है जिसके बाद उक्त संयोजन पर संयोजित चेक मीटर सं. 1206479 को ही मेन मीटर में परिवर्तित कर सीलिंग प्रमाण पत्र दिनांक 29.05.2022 भरा गया, जिसके बाद परिवादी द्वारा अपने प्रथम बार पूर्ण विद्युत बिल का भुगतान दिनांक 29.07.2022 को संतुष्ट होने पर रशीद सं. 63248585290722BCBU0008 से कर दिया गया है ।

परिवाद संतुष्टि के आधार उपरोक्त परिस्थितियों में परिवादी द्वारा दाखिल परिवाद निस्तारित किये जाने योग्य है ।

आदेश

इन्डस टावर लिछठवी ,. फ्लोर, बीलखनऊ ,गोमती नगर ,विभूति खण्ड ,विराज टावर .डी.बी. का परिवाद संतुष्टि के आधार पर निस्तारित किया जाता है । पक्षकार अपना अपना वाद व्यय स्वयं वहन करें ।

(संजीव कुमार गुप्ता)
सदस्य/अनु०
दिनांकः- 19 /12/2022

19/12/22
(संतोष कुमार तिवारी)
कार्यवाहक अध्यक्ष/तकनीकी सदस्य

प्रस्तुत आदेश आज हस्ताक्षरित एंव दिनांकित होकर खुले फोरम में उदघोषित किया गया ।

(संजीव कुमार गुप्ता)
सदस्य/अनु०
दिनांकः- 19/12/2022

19/12/22
(संतोष कुमार तिवारी)
कार्यवाहक अध्यक्ष/तकनीकी सदस्य

Distribution :- (i) परिवादी (ii) विपक्षी (iii) प्रबंध निदेशक (द.वि.वि.नि.लि.)
(iv) मुख्य अभियन्ता (वितरण), कानपुर मण्डल, कानपुर (v) रिकार्ड प्रति